भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 30

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश

30. श्री संजय भाटिया:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री रोडमल नागर:

श्री नायब सिंह सैनी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के मद्देनजर पर्यटन केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र, उत्तरी बंगाल (अलीपुरद्वार) तथा करनाल संसदीय क्षेत्र के करनाल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं। भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में, लागू नियमों और कानूनों के अधीन स्वत:क्रम के तहत शत प्रतिशत (100%) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। होटल, रिसॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति है। परन्तु, पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन क्षेत्र में एफडीआई पर आंकड़े संकलित नहीं करता है ।

(ग) से (घ): पर्यटन केन्द्रों की स्थापना सहित पर्यटन के विकास का प्राथमिक रूप से दायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। फिर भी, पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा सहित, देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रशाद) की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करना और इसकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, योजना दिशानिर्देशों का पालन करने और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग के अधीन स्वीकृत किया जाता है। स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश के संबंध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 30 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

वर्तमान में "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन" योजना के तहत विकास के लिए अभिज्ञात स्थलों की कुल संख्या 29 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 57 है। यह स्थल हैं : अमरावती, श्रीशैलम तथा सिंहाचलम (आंध्र प्रदेश), परशुराम कुंड (लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), कामाख्या और श्रीकृष्णगुरु सेवाश्रम, नासतरा (असम), पटना और गया (बिहार), बाल्मेश्वरी देवी मंदिर (राजनांदगांव, छत्तीसगढ़), द्वारका ,सोमनाथ और अंबाजी, बनासकांठा (गुजरात), सेंट बोम जीसस चर्च (गोवा), गुरुद्वारा नाडा साहेब और मां मनसा देवी मंदिर (पंचकूला,हरियाणा), मां चिंतपूर्णी (ऊना, हिमाचल प्रदेश), हजरतबल, कटरा और सुंदरबनी , राजौरी जिले में (जम्मू और कश्मीर), देवगढ़ और पारसनाथ (झारखंड), चामुंडेश्वरी देवी (मैसुरु जिला, कर्नाटक), गुरुवयूर, सेंट थॉमस इंटरनेशनल श्राइन, चेरामन जुमा मस्जिद (केरल), चौकिहंग विहार (लेह), ओंकारेश्वर और अमरकंटक (मध्य प्रदेश), त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र), चरणथला दुर्गा मंदिर-बाबेदपारा, नर्तियांग शक्ति मंदिर, नोंगसावलिया चर्च सोहरा, मदन एयर नर सेक्रेड पूल , जोवाई के पास (मेघालय), चांगसिल काई- साइरंग, प्रेस्बिटेरियन चर्च- दावरपुई, खवरहुलियन, सोलोमन मंदिर किड्रोन वैली और सेरकावर (मिजोरम), कोहिमा के कैथेड्रल, नोकसेन चर्च, मिशन कंपाउंड, आइजुटो, मोलुंगकिमोंग और वानखोसुंग-वोखा (नागालैंड), पुरी (ओडिशा), अमृतसर और रोपड़ ,चमकौर साहिब (पंजाब), अजमेर के विकास के लिए (राजस्थान), युकसोम (सिक्किम), कांचीपुरम, वेल्लंकानी और रामेश्वरम (तमिलनाडु), जोगुलम्बा देवी मंदिर (तेलंगाना) त्रिपुरा सुंदरी- अगरतला (त्रिपुरा), वाराणसी, और मथुरा (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री- यमुनोत्री (उत्तराखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल)।

जनवरी 2015 में इसकी शुरूआत के बाद से और 02.07.2021 तक मंत्रालय ने 1214.19 करोड़ रूपए के अनुमानित व्यय से 24 राज्यों में 37 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 से इन परियोजनाओं के लिए 675.89 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इन अनुमोदित परियोजनाओं में से कई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

परियोजनाओं का विवरण (राज्यवार)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना की सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित राशि	निर्मुक्त राशि
चल रही परियोजनाओं की सूची						
1.	आंध्र प्रदेश	1.	पर्यटन गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का विकास**	2015-16	27.77	27.77
		2.	श्रीसैलम मंदिर का विकास**	2017-18	47.45	37.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.	परशुराम कुंड, लोहित जिला का विकास	2020-21	37.88	05.01.21 को प्रशा. स्वीकृति
3.	असम	4.	गुवाहाटी में और आसपास कामाख्या मंदिर तथा तीर्थस्थल का विकास**	2015-16	29.99	29.99
4.	बिहार	5.	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में	2014-15	4.27	2.91

			बुनियादी सुविधाओं का विकास**			
		6.	पटना साहिब का विकास**	2015-16	41.54	33.23
5.	छत्तीसगढ़	7.	माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, राजनंदगाँव, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	43.33	12.16
6.	गुजरात	8.	द्वारका का विकास**	2016-17	13.08	10.46
		9.	सोमनाथ में तीर्थयात्री सुविधाएं**	2016-17	45.36	45.36
		10.	प्रशाद योजना के अंतर्गत सोमनाथ में प्रोमेनाड का विकास**	2018-19	47.12	44.76
7.	हरियाणा	11.	पंचकुला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता मंशा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	20.18
8.	जम्मू एवं कश्मीर	12.	हजरतबल में विकास	2016-17	40.46	32.37
9.	झारखण्ड	13.	वैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13	20.58
10.	केरल	14.	गुरुवयूर मंदिर का विकास**	2016-17	46.14	36.91
	मध्य प्रदेश	15.	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	44.83	35.87
11.		16.	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	8.01.21 को प्रशा. स्वीकृति
12.	महाराष्ट्र	17.	त्रियंबकेश्वर का विकास	2017-18	37.81	8.49
13.	मेघालय	18.	मेघालय में तीर्थ यात्रा सुविधाओं का विकास	2020-21	29.32	6.53
14.	नागालैंड	**19.**	नागालैंड में तीर्थस्थल अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	13.49
15.	ओडिशा	20.	मेगा परिपथ के तहत पुरी में श्री जगन्नाथ धाम - रामचंडी - देउली में प्राची नदी तट पर अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
16.	पंजाब	21.	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मीकि स्थल का विकास **	2015-16	6.40	6.40
17.	राजस्थान	22.	पुष्कर/अजमेर का समेकित विकास	2015-16	32.64	26.11
18.	सिक्किम	23.	युकसोम में चार संरक्षक संतों पर तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	33.32	9.50
19.	तमिलनाडु	24.	कांचीपुरम का विकास**	2016-17	13.99	13.99
		25.	वेल्लांकनी का विकास**	2016-17	4.86	4.86
20.	तेलंगाना	26.	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	5.14
21.	त्रिपुरा	27.	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.84	10.59
22.	उत्तराखण्ड	28.	केदारनाथ का समेकित विकास**	2015-16	34.78	27.83

		29.	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अवसंरचना का विकास	2018-19	39.24	20.79
		30.	प्रशाद योजना के तहत उत्तराखंड में तीर्थयात्रा बुनियादी सुविधाओं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विस्तार	2021-22	54.36	30.6.21 को प्रशा. स्वीकृति
23.	उत्तर प्रदेश	31.	मेगा टूरिस्ट परिपथ के रूप में मथुरा – वृंदावन का विकास (फेज-II)**	2014-15	14.93	10.38
		32.	मथुरा जिले के वृंदावन में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण **	2014-15	9.36	9.36
		33.	वाराणसी फेज-I का विकास **	2015-16	20.40	16.32
		34.	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	8.57
		35.	प्रशाद योजना फेज-II के अंगर्तत वाराणसी का विकास	2017-18	44.60	31.77
		36.	गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	2018-19	39.74	21.87
24.	पश्चिम बंगाल	37.	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
			कुल		**1214.19**	**675.89**

** परियोजना का भौतिक निष्पादन पूर्ण हो गया है ।

स्वदेश दर्शन योजना

योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वदेश दर्शन**			
		परियोजनाओ की सं.	**स्वीकृत राशि**	**निर्मुक्त राशि**	**उपयोग की गई राशि**
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	141.53	141.77	137.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49	124.05	110.51
3.	असम	2	185.66	159.29	127.30
4.	बिहार	5	272.86	221.36	185.68
5.	छत्तीसगढ़	1	96.10	80.44	79.15
6.	गोवा	2	197.00	185.38	170.47
7.	गुजरात	3	179.68	161.25	150.59
8.	हरियाणा	1	97.35	77.88	63.48
9.	हिमाचल प्रदेश	1	80.69	59.85	35.18
10.	जम्मू और कश्मीर	6	522.35	396.05	306.14

11.	झारखंड	1	52.72	15.07	4.25
12.	कर्नाटक	0	0	0	0
13.	केरल	5	418.60	180.39	142.39
14.	मध्य प्रदेश	4	350.67	315.26	303.36
15.	महाराष्ट्र	2	73.07	40.43	27.88
16.	मणिपुर	2	126.03	104.36	98.13
17.	मेघालय	2	184.1	138.89	106.30
18.	मिज़ोरम	2	158.63	137.17	139.77
19.	नागालैंड	2	195.50	175.95	155.61
20.	ओड़िशा	1	70.82	52.96	50.3
21.	पंजाब	1	91.55	41.45	17.89
22.	राजस्थान	4	310.63	229.85	220.16
23.	सिक्किम	2	193.37	169.02	157.52
24.	तमिलनाडु	1	73.13	68.60	63.37
25.	तेलंगाना	3	268.39	233.53	191.64
26.	त्रिपुरा	2	147.84	78.68	58.49
27.	उत्तर प्रदेश	8	490.71	414.60	352.92
28.	उत्तराखंड	2	145.49	133.33	132.67
29.	पश्चिम बंगाल	1	85.39	68.31	62.67
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27.57	13.46	8.45
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	3	186.59	125.93	105.91
	मार्ग सुविधाओं का विकास (उत्तर प्रदेश और बिहार)	1	17.93	12.29	11.05
कुल		**76**	**5588.44**	**4356.85**	**3777.06**

****